214

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमाँक /2014 निगरानी R - 3271-I/14

दिनांक 26-9-14 को श्री एम. पी. भटनागर अधि० द्वारा उपस्थित।
26-9-14
SO

लीलावती पत्नी अमृतसिंह फौत वारिसान

§1§- रामबहादुर सिंह पुत्र अमृत सिंह

§2§- इन्द्रवीर सिंह पुत्र अमृत सिंह

§3§- रणवीर सिंह पुत्र अमृत सिंह

§4§- बुद्ध सिंह § अरविन्द § पुत्र अमृत सिंह
निवासीगण ग्राम चरथर ,परगना व
जिला भिण्ड §म0प्र0§

§5§- बसन्त कुमार श्रीवास्तव पुत्र मेवालाल
निवासी ग्राम चरथर ,परगना व जिला
भिण्ड §म0प्र0§ हाल निवासी अरोरा
फार्म वार्टर वर्क्स , भिण्ड §म0प्र0§

§6§- रेखा देवी बेवा कृष्ण कुमार निवासी
ग्राम चरथर जिला भिण्ड §म0प्र0§
हाल गोविन्द नगर, भिण्ड §म0प्र0§

------ आवेदकगण

बनाम

§1§- राजेश पुत्र रामस्वरूप श्रीवास्तव
नि0 ग्राम चरथर परगना व जिला भिण्ड
§म0प्र0§ --- असल अनावेदक

§2§- रिपूदमन सिंह पुत्र प्रताप सिंह भंदौरिया

§3§- राणा संग्राम सिंह पुत्र प्रतापसिंह भंदौरिया

§4§- बीरेन्द्रसिंह पुत्र अमृत सिंह निवासीगण
ग्राम चरथर परगना व जिला भिण्ड§म0प्र0§

§5§- मनोज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार

§6§- अविनाश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार

§7§- फिरंगी सिंह पुत्र बदरी सिंह ,

§8§- रामनारायण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह

§9§- सतेन्द्रसिंह पुत्र जगपाल सिंह

§10§- रामनिवास सिंह पुत्र बलवन्त सिंह

---2

समस्त निवासीगण ग्राम चरथर ,परगना
व जिला भिण्ड (म0प्र0)
---तरतीबी अनावेदकगण

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959, विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड (म0प्र0) के प्रकरण क्रमॉक 20/2010-11 नि0मा0, प्रकरण क्रमॉक 22/2010 -11 नि0मा0 वउनवान रिपुदमन सिंह बनाम लीलावती फौत द्वारा वारिसान बीरेन्द्र सिंह आदि, में आदेश दिनांक 30-6-2014 से दुखित होकर ।

------0-------

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण/ आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

(1)- यह कि, प्रार्थीगण द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत दो प्रकरण क्रमॉक 20/2010-11 नि0मा0 , एवं प्रकरण क्रमॉक 22/2010-11 नि0मा0 , का आदेश एक ही न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा किया गया । इस कारण दोनों प्रकरण क्रमॉक के आदेश दिनांक 30-6-2014 की एक ही निगरानी कर रहे हैं । क्योंकि पूर्व में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड में दो निगरानी पृथक-2 अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमॉक 37/2009-10/अ-म., 37/2007-08 अ0मा0प्रस्तुत कीं, व गयीं जिसमें एक ही आदेश किया गया । इस कारण यह निगरानी मुख्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है ।

--3

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3271-दो/14 **जिला - भिण्ड**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	